

13⁸/₁₉

पत्रावली चेंबर्हि दुई। वकील वाकी द्वारा दावा को मोट
प्रेस लिया गया कि दावा खतारे की रिदायत केबरी
नहीं है। वादी अनुपस्थित। पत्रावली अकम केबरी अकम
राजरी में खरिज की जाती है पत्रावली केबरी सुमां
शेकर बाद तरीब तकमील दाखिल हफ्तर हो।

सहायक कलकत्ता
कार्यपालक न्यायाधीश
बीकानेर

Motc Bresh

13/8/19

